

डिक्री व मुकदमें ईब्लादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 361/2025

देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)  
- वादी

बनाम्

1. सुखदेव सिंह पुत्र स्व. श्री भाग सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
  2. राजविन्द्र कौर पुत्री श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब. मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 8 बीजीपी के खाता संख्या 102/2 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 मे प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिंह पुत्र भागसिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से 1.265 है. भूमि का वादी देवेन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकित किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैंक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज..........नल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत..........निल..........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.7.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया